

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुन्डुनू

पीठासीन अधिकारी:-

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.-24/2019

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2019/00818

1. मनभर पुत्र लालमा
  2. जयलाल पुत्र लालमा
  3. लीलाधर पुत्र रामजीलाल
  4. दुलिचन्द पुत्र रामजीलाल
  5. रेशमा पुत्री रामजीलाल
  6. चाना पुत्री रामजीलाल
- जाति जांगिड़ निवासी महराणा तहसील बुहाना जिला झुन्डुनू राज

.....वादीगण

बनाम

1. जगदीश
2. दयानन्द पुत्रान घड़सीराम जाति जांगिड़ निवासी महराणा तहसील बुहाना जिला झुन्डुनू राज
3. दलिप
4. ग्यारसी देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जांगिड़ निवासी महराणा तहसील बुहाना जिला झुन्डुनू राज
5. सुभाष पुत्र ओमप्रकाश
6. निर्मला देवी पुत्री ओमप्रकाश पत्नी मनोज कुमार जाति जांगिड़ निवासी खुड़िया की ढाणी
7. रेखा देवी पुत्री ओमप्रकाश पत्नी मुनेश कुमार जाति जांगिड़ निवासी खुड़िया की ढाणी
8. मनिया देवी पत्नी घड़सी राम जाति जांगिड़ निवासी महराणा तहसील बुहाना जिला झुन्डुनू राज
9. विद्या देवी पुत्री घड़सीराम जाति जांगिड़ निवासी महराणा तहसील बुहाना जिला झुन्डुनू राज
10. सरबती पुत्री घड़सीराम पत्नी हजारी लाल जाति जांगिड़ निवासी फरटीया केहर तहसील लोहारू जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।
11. सन्तोष पुत्री घड़सीराम पत्नी रामसिंह
12. सिलोचना पुत्री घड़सीराम पत्नी शिशपाल जाति जांगिड़ निवासी महराणा तहसील बुहाना जिला झुन्डुनू राज
13. शेरसिंह पुत्र घड़सीराम जाति जांगिड़ निवासी महराणा तहसील बुहाना जिला झुन्डुनू राज
14. बाबुलाल
15. भूपसिंह पुत्रान सांवल जाति जांगिड़ निवासी महराणा तहसील बुहाना जिला झुन्डुनू राज
16. रणवीर
17. आई. सी. आई. सी. आई. बैंक शाखा सिंघाना
18. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामिण बैंक शाखा सांवलौद तहसील सिंघाना झुन्डुनू राज
19. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना।

.....प्रतिवादीगण



(सुनील कुमार चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
जिला झुन्डुनू (राज.)

दावा बाबत खाता विभाजन

—:निर्णय:—

दिनांक :- 18-08-2022

(1). वादी का वादपत्र रहा कि:-


1. यह कि वाके ग्राम महराणा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 205 रकबा 0.50 है., खसरा नम्बर 239 रकबा 0.34 है., खसरा नम्बर 379 रकबा 0.95 है., खसरा नम्बर 380 रकबा 1.00 है., खसरा नम्बर 505 रकबा 0.06 है., खसरा नम्बर 506 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 507 रकबा 2.90 है., खसरा नम्बर 508 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 509 रकबा 2.88 है., खसरा नम्बर 540/238 रकबा 0.03 है., कुल किता 10 कुल रकबा 8.76 है. के खातेदार कास्तकार वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 16 दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें वादी सं. 1 का 2/15 हिस्सा वादी सं. 2 का 2/15 हिस्सा वादी सं. 3 लगायत 6 का 2/15 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 का 1/20, प्रतिवादी सं. 2 का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 लगायत 7 का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 8 लगायत 13 का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 14 का 1/30 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 15 का 1/30 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 16 का 1/30 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है।
2. यह कि वाद वर्णित भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 15 ने मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा बंटवारे के अनुसार अपनी अपनी भूमि को कास्त कर रहे है तथा पक्षकारों ने अपने हिस्से की भूमि में कुआ बना रखा है जिससे सिंचाई कर रहे है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में भूमि संयुक्त खातेदारी की में दर्ज रिकॉर्ड है। तथा विधिवत खाता विभाजन नहीं हुआ है। तथा अपनी भूमि में पहुचनके में बिना आवागमन करने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।
3. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण की भूमि में से एक कदिमी प्रचलित रास्ता है जिससे होकर सभी खातेदार अपनी भूमि में जाते है कास्त करते है आवागमन करते है लेकिन प्रतिवादीगण वादीगण को उसके उपयोग उपभोग में बाधा कारित करते है। तथा वादीगण के हिस्से की भूमि को कास्त करने में भी दखलदाजी पैदा कर रहे है जबकि संयुक्त खातेदारी भूमि में प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा होता है। इसलिए वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजन करवाने का निश्चय किया है। वादीगण ने जब प्रतिवादीगण को खाता विभाजन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये इस कारण से वादीगण को वाद खाता विभाजन पेश करना आवश्यक हुआ है।
4. यह कि खातेदार रामजीलाल फौत हो चुका है जिसके विधिक वारीस वादी सं. 3 लगायत 6 है खातेदार ओमप्रकाश पुत्र घड़सी फौत हो चुका है जिसके विधिक वारीसान प्रतिवादी सं. 4 लगायत 7 है।
5. यह कि रिहायस पक्षकारान व वाद वर्णित भूमि ग्राम महराणा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज में स्थित है जो न्यायालय श्रीमान जी के अधिकार क्षेत्र में है।

  
(सुनील कुमार चौहान)  
अखण्ड अधिकारी बुहाना  
जिला झुन्झुनू (राज.)

6. यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तृतीय परिशिष्ट के अनुसार यह वाद 2 रुपये निम्नरित न्यायालय शुल्क पर सेवारित है।

वादी ने वाद-पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि-

- (क). वाके ग्राम महाराणा तहसील बुहाना जिला झुन्डुनू राज स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 205 रकबा 0.50 है., खसरा नम्बर 239 रकबा 0.34 है., खसरा नम्बर 379 रकबा 0.95 है., खसरा नम्बर 380 रकबा 1.00 है., खसरा नम्बर 505 रकबा 0.06 है., खसरा नम्बर 506 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 507 रकबा 2.90 है., खसरा नम्बर 508 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 509 रकबा 2.88 है., खसरा नम्बर 540/238 रकबा 0.03 है., कुल किता 10 कुल रकबा 8.76 है. भूमि मे वादी सं. 1 का 2/15 हिस्सा, वादी सं. 2 का 2/15 हिस्सा वादी सं. 3 लगायत 6 का 2/15 हिस्से का खाता विभाजन कर, खाता विभाजन में आये हिस्से तक रास्ता कायम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।
- (2). दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल हुई। प्रतिवादी सं. 2 व 13 की ओर से श्री राजेश कुमार यादव एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 14 लगायत 16 की आरे से श्री मुकेश कुमार कलवा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 14, 15, 16 की ओर से जबाव दावा मय प्रतिदावा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण की बावजुद सम्यक् तामिल के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।
- (3). प्रतिवादी संख्या 14, 15, 16 की ओर से प्रतिदावा रहा कि- वाके ग्राम महाराणा तहसील बुहाना जिला झुन्डुनू राज स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 205 रकबा 0.50 है., खसरा नम्बर 239 रकबा 0.34 है., खसरा नम्बर 379 रकबा 0.95 है., खसरा नम्बर 380 रकबा 1.00 है., खसरा नम्बर 505 रकबा 0.06 है., खसरा नम्बर 506 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 507 रकबा 2.90 है., खसरा नम्बर 508 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 509 रकबा 2.88 है., खसरा नम्बर 540/238 रकबा 0.03 है., कुल किता 10 कुल रकबा 8.76 है. में प्रतिदावाकर्ता /प्रतिवादी संख्या 14 का 1/30 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 15 का 1/30 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 16 का 1/30 हिस्सा का खाता विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में लगान भी अलग ये कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।
- (4). वादी की ओर से दस्तावेज में नकल जमाबंदी 2075 लगायत 78 पेश किए गए।
- (5). दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 06-06-2022 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 21-07-2022 को प्राप्त हुई। अधिवक्ता वादीगण ने न्यायालय हाजा उपस्थित होकर निवेदन किया हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हम सहमत है, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे।

  
(मुनील कुमार चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
जिला झुन्डुनू (राज.)

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः वाद वादीगण व प्रतिदावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

-:: आदेश ::-

न्यायालय वाद वादी व प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 14, 15, 16 बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम महराणा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 205 रकबा 0.50 है., खसरा नम्बर 239 रकबा 0.34 है., खसरा नम्बर 379 रकबा 0.95 है., खसरा नम्बर 380 रकबा 1.00 है., खसरा नम्बर 505 रकबा 0.06 है., खसरा नम्बर 506 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 507 रकबा 2.90 है., खसरा नम्बर 508 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 509 रकबा 2.88 है., खसरा नम्बर 540/238 रकबा 0.03 है., कुल कित्ता 10 कुल रकबा 8.76 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ-1 लगायत अ-3" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना  
जिला झुन्झुनू राज.

निर्णय आज दिनांक 18/8/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना  
जिला झुन्झुनू राज.

**मूल वाद में अंतिम डिक्री**  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी:-  
राजस्व वाद सं.-24/2019सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.  
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2019/00818

1. मनभर पुत्र लालमा
  2. जयलाल पुत्र लालमा
  3. लीलाधर पुत्र रामजीलाल
  4. दुलिचन्द पुत्र रामजीलाल
  5. रेशमा पुत्री रामजीलाल
  6. चाना पुत्री रामजीलाल
- जाति जांगिड़ निवासी महाराणा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज

.....वादीगण

**बनाम**

1. जगदीश
2. दयानन्द
3. दलिप
4. ग्यारसी देवी पत्नी ओमप्रकाश
5. सुभाष पुत्र ओमप्रकाश
6. निर्मला देवी पुत्री ओमप्रकाश पत्नी मनोज कुमार जाति जांगिड़ निवासी खुड़िया की ढाणी
7. रेखा देवी पुत्री ओमप्रकाश पत्नी मुनेश कुमार जाति जांगिड़ निवासी खुड़िया की ढाणी
8. मनिया देवी पत्नी घड़सी राम जाति जांगिड़ निवासी महाराणा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज
9. विद्या देवी पुत्री घड़सीराम जाति जांगिड़ निवासी महाराणा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज
10. सरबती पुत्री घड़सीराम पत्नी हजारी लाल जाति जांगिड़ निवासी फरटीया केहर तहसील लोहारू जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।
11. सन्तोष पुत्री घड़सीराम पत्नी रामसिंह
12. सिलोचना पुत्री घड़सीराम पत्नी शिशपाल जाति जांगिड़ निवासी महाराणा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज
13. शेरसिंह पुत्र घड़सीराम जाति जांगिड़ निवासी महाराणा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज
14. बाबुलाल
15. भूपसिंह
16. रणवीर
17. आई. सी. आई. सी. आई. बैंक शाखा सिंघाना
18. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामिण बैंक शाखा सांवल्लोद तहसील सिंघाना झुन्झुनू राज
19. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना।

.....प्रतिवादीगण

(सुनील कुमार चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
जिला झुन्झुनू (राज.)

वादीगण की ओर से श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट की उपस्थिति में व प्रतिवादी सं. 2 व 13 की ओर से श्री राजेश यादव एडवोकेट की उपस्थिति में, प्रतिवादी सं. 14 लगायत 16 की ओर से श्री मुकेश कलवा एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18-08-2022 को श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

" न्यायालय वाद वादी व प्रतिवादा प्रतिवादी संख्या 14, 15, 16 बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम महराणा तहसील बुहाना जिला झुन्डुनू राज स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 205 रकबा 0.50 है., खसरा नम्बर 239 रकबा 0.34 है., खसरा नम्बर 379 रकबा 0.95 है., खसरा नम्बर 380 रकबा 1.00 है., खसरा नम्बर 505 रकबा 0.06 है., खसरा नम्बर 506 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 507 रकबा 2.90 है., खसरा नम्बर 508 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 509 रकबा 2.88 है., खसरा नम्बर 540/238 रकबा 0.03 है., कुल किता 10 कुल रकबा 8.76 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ-1 लगायत अ-3" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 18-08-2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी सुख  
पदेन सहायक सुख (रा बुहाना)